उत्तरांचल सर्विसेज हाऊसिंग एसोसिएशन, देहरादून।

ई–मेल : secyusha09@gmail.com सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–0135–2607608
वेबसाइट : www.ushadoon.org

दिनांक 08.09.2012 को होटल पैसिफिक, देहरादून के पर्ल हॉल में आयोजित ''नौवीं'' (IX) वार्षिक सामान्य गोष्ठी (Annual General Meeting) का कार्यवृत्त।

दिनाक–08.08.2012 को सचिव/कार्यकारिणी समिति उषा के द्वारा जारी किये गये नोटिस के अनुसार गोष्ठी की कार्यवाही दिनांक–08.09.2012 को ठीक 18.00बजे आरम्भ घोषित की गयी, लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण इसे 18.30बजे तक के लिए स्थगित किया गया।

समय 18.30बजे पुनः गोष्ठी आरम्भ घोषित की गयी। इस समय कोरम पूरा होने पर अग्रिम कार्यवाही निम्नवत् शुरू हुई–

1– गोष्ठी में कुल 25 सदस्य उपस्थित हुए। (सूची संलग्न है)

2– गोष्ठी के प्रारम्भ में अध्यक्ष कार्यकारिणी श्री इन्दु कुमार पाण्डे द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का सपरिवार स्वागत किया गया।

3– एजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार सर्वप्रथम अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा Action Taken Report (ATR) सहित वार्षिक रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत की गयी। विगत वार्षिक गोष्ठी के निर्णयों के अनुपालन में मुख्य रूप से प्लाट अन्तरण शुल्क को रूपये तीन लाख से पॉच लाख किये जाने, आवश्यकतानुरूप कॉलोनी परिसर में एक उचित क्षमता का सैप्टिक टैंक व सोक पिट का निर्माण पूरा होने, दो नॉन–वोटिंग सदस्यों श्रीमती किरन शर्मा एवं श्रीमती पूजा गर्बियाल को एग्रीमेंट के तहत सोसाइटी में शामिल किये जाने एवं तीसरे सदस्य श्री राकेश कुमार के इस हेतु सहमत होना आदि के बारे में सचिव द्वारा सदन को सूचित किया गया।

वर्ष 2011–12 की प्रगति में कालोनी परिसर में वृक्षारोपण किये जाने, पार्कों का विकास किये जाने, क्षतिग्रस्त चाहरदीवारी का स्वीकृत डिजाइन के अनुसार निर्माण कराये जाने का उल्लेख किया गया है। आलोच्य अवधि में एक प्लाट अन्तरण किये जाने की सदन को जानकारी भी दी गयी।

सदन में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा आलोच्य अवधि में कृत प्रयासों एवं उपलब्धियों पर सन्तोष प्रकट किया गया। Annual Report & ATR की एक–एक प्रति अन्य सामग्री सहित उपस्थित सदस्यों को उपलब्ध कराई गयी। रिपोर्ट की समीक्षा उपरान्त सदन द्वारा सर्वसम्मति से इसे यथावत स्वीकार किया गया।

4– इसके उपरान्त कोषाध्यक्ष, उषा कार्यकारिणी श्री विजय कुमार के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसकी प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई गयी। कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट को सदन द्वारा सर्वसम्मति से यथावत स्वीकार कर लिया गया।

5– सदन में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत Annual Accounts & Balance Sheet को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। जिसकी प्रति भी सभी सदस्यों को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई गयी।

6– **एजेण्डा बिन्दु संख्या–5,** में सन्दर्भित ऑडिटर की नियुक्ति के सम्बन्ध में 'बी0एन0 शर्मा एण्ड एसोसिएटस्' को सर्वसम्मति से यह कार्य पूर्ववत् जारी रखने हेतु अनुरोध किया गया तथा फर्म के चार्टर्ड एकाउंटेण्ट श्री रविन्द्र खण्डूजा द्वारा इस कार्य को पूर्ववत् अवैतनिक रूप से अगले वित्तीय वर्ष में भी करने हेतु सहमति दी गयी। श्री खण्डूजा को उनकी प्रशंसनीय सेवाओं व सहयोग हेतु सदन द्वारा धन्यवाद दिया गया।

7– **एजेण्डा बिन्दु संख्या–6,** के अन्तर्गत Annual Maintenance Charges (AMC) की समीक्षा की गयी, इस सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया गया कि वर्ष 2008–09 में 06 सदस्यों द्वारा, वर्ष 2009–10 में 07 सदस्यों द्वारा, वर्ष 2010–11 में 11 सदस्यों द्वारा, वर्ष 2011–12 में 22 तथा वर्ष 2012–13 में 31 सदस्यों द्वारा अभी तक निर्धारित धनराशि जमा नहीं कराई गयी है, जबकि वर्ष 2012–13 का निर्धारित शुल्क अग्रिम में 31 मार्च 2012 तक जमा हो जाना चाहिए था।

सदन द्वारा विगत वार्षिक गोष्ठी में निर्धारित किये गये विलम्ब शुल्क को इस वर्ष प्रो–राटा दर पर वसूल किये जाने पर एजेण्डा बिन्दु के अनुसार सहमति दी गयी।

8– **एजेण्डा बिन्दु संख्या–7,** में शामिल सोसाइटी का कोष (Corpus) तैयार करने हेतु प्रत्येक सदस्य से एक निश्चित धनराशि वसूले जाने के सम्बन्ध में व्यापक विचार विमर्श किया गया। कुछ सदस्यों द्वारा ट्रॉसफार्मर के निकट क्लब एरिया के अन्तर्गत नक्शे में अंकित शॉपिंग काम्पलेक्स की भूमि क्षेत्रफल लगभग 400वर्ग गज को बेचकर कोष को बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया। सदन द्वारा कालोनी के नक्शे में निर्धारित मूल स्वरूप को बनाये रखने हेतु बल दिया गया एवं प्रचलित विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसा न करने हेतु मत व्यक्त किया गया अतः इस प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

व्यापक विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि एजेण्डा बिन्दु में कॉर्पस बनाने हेतु कुल योजित धनराशि एवं इसे एकत्र किये जाने की प्रक्रिया के उल्लेख के साथ यह भी प्रस्तावित होना चाहिए कि यह राशि किस उद्‌देश्य हेतु चाहिए अतः इस बिन्दु पर आवश्यक घटकों का उल्लेख न होने से इस गोष्ठी में विधिक रूप से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अध्यक्ष द्वारा सलाह दी गयी कि इस बिन्दु पर गम्भीर सोच विचार कर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है अतः पूर्ण अध्ययन के उपरान्त ही प्रस्ताव तैयार कर विशेष सामान्य गोष्ठी (SGM) आहूत कर प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है।

9– **एजेण्डा बिन्दु संख्या–8**, जिसमें भवन निर्माण की समय सीमा निर्धारित करने का उल्लेख किया गया है, इसके सम्बन्ध में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि बाई–लॉज में इस बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कार्यकारिणी के सदस्य श्री आर0के0 सुधांशु (पूर्व उपाध्यक्ष एम0डी0डी0ए0) द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हेतु पहले पॉच वर्ष, इसके पश्चात दो वर्ष एवं इसके पश्चात पुनः दो वर्ष (कुल 09वर्ष) की समय–सीमा की छूट का प्राविधान है। कुछ सदस्यों द्वारा यह राय व्यक्त की गयी कि यह

समय–बाध्यता भवन निर्माण हेतु नहीं बल्कि सोसाइटी की स्थापना एवं उसके विकास के लिए होनी चाहिए। अन्त में यह निर्णीत हुआ कि यह भूमि चूँकि राजस्व विभाग से क्रय की गयी है अतः इस परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग से भी विधिक राय ले ली जाय एवं इस हेतु यदि कोई विधिक बाध्यता हो तो विशेष सामान्य गोष्ठी (SGM) आहूत कर नियमानुसार वांछित प्रस्ताव पारित कराने हेतु कार्यवाही की जा सकती है।

10– **एजेण्डा बिन्दु संख्या–9,** के सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि "Article of association" में किसी भी बदलाव हेतु विशेष सामान्य गोष्ठी (SGM) आहूत की जानी चाहिए एवं एजेण्डा बिन्दु में इसे शामिल कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमानुसार पारित कराया जाना समीचीन होगा।

उपरोक्त एजेण्डा बिन्दुओं के अतिरिक्त सदन में निम्न विषयों पर भी व्यापक चर्चा की गयी–

(1) गोष्ठी में आमंत्रित उषा सोसाइटी के आर्किटेक्ट श्री बृज पंजवानी द्वारा कार्यकारिणी समिति के अनुरोध पर सामुदायिक भवन एवं प्रवेश द्वार हेतु प्रस्तावित संरचना पर एक प्रस्तुति दी गयी, जिसमें कालोनी के प्रवेश द्वार के साथ शॉपिंग कम्पलेक्स, जन सुविधाएँ, क्लब आदि प्रदर्शित किये गये। सदस्यों द्वारा इनमें आंशिक संशोधनों की अपेक्षा की गयी। अध्यक्ष द्वारा इस निर्माण कार्य का वित्तीय आगणन कराने का सुझाव दिया गया एवं अपेक्षा की कि अपेक्षित संशोधनों के साथ अति शीघ्र प्रस्ताव कार्यसमिति के अवलोकन हेतु प्रस्तुत करें इस हेतु उपाध्यक्ष श्री एस0के0 भगत से सहयोग हेतु अपेक्षा की गयी। श्री बृज पंजवानी को पूर्ववत इस वर्ष भी उषा उषा कालोनी के अधिकृत आर्किटेक्ट के रूप में सदन द्वारा नियुक्त किया गया।

(2) सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से राय व्यक्त की गयी कि कालोनी में बुनियादी सुविधाएँ, जैसे सड़क, सुरक्षा एवं जन–सुविधाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाये। इसके उपरान्त सामुदायिक केन्द्र (क्लब आदि) के निर्माण हेतु पूर्ण विचारण के बाद ही निर्णय लिया जाये तथा इस हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान भी कर लिया जाये।

11– **एजेण्डा बिन्दु संख्या–10,** के अन्तर्गत अन्त में सदन के द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु नयी कार्यकारणी समिति का निर्वाचन किया गया जिसमें निम्नवत् पदाधिकारियों को चुना गया–

1– श्री इन्दु कुमार पाण्डे	अध्यक्ष
2– श्री एस0के0 भगत,	उपाध्यक्ष
3– श्री राजीव भरतारी	उपाध्यक्ष
4– श्री संजय गुंज्याल	सचिव
5– श्री सुरेन्द्र मेहरा	कोषाध्यक्ष
6– श्रीमती आकांक्षा सिन्हा	सदस्या
7– श्री आर0के0 सुधांशु	सदस्य
8– श्री बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम	सदस्य
9– श्री नितेश झा	सदस्य

यह कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार ग्रहण करेगी।

सदन के समक्ष विचारण हेतु कोई अन्य बिन्दु नहीं रखा गया। समस्त औपचारिक कार्यवाहियॉ पूर्ण करके **नौवीं सामान्य वार्षिक गोष्ठी** उपाध्यक्ष श्री राजीव भरतारी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

वार्षिक सामान्य गोष्ठी का कार्यवृत्त सर्वसम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

दिनांक– सितम्बर , 2012

–हस्ता0–
(इन्दु कुमार पाण्डे)
अध्यक्ष / उषा कार्यकारिणी

<u>**प्रतिलिपि–**</u>

1– रजिस्ट्रार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, देहरादून।
2– समस्त सदस्यगण उषा सोसाइटी।

दिनांक–08.09.2012 को आयोजित IX-AGM में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम–

1– श्री इन्दु कुमार पाण्डे
2– श्री एस0के0 भगत,
3– श्री राजीव भरतारी
4– श्री एस0के0 शुक्ल
5– श्री विजय कुमार
6– श्री पी0डी0 रतूड़ी
7– श्री आर0के0 सुधांशु
8– श्री अमित सिन्हा
9 –श्री संजय गुंज्याल
10–श्री समीर सिन्हा
11–श्री सुरेन्द्र मेहरा
12–श्री एन0एस0 नपलच्याल
13–श्री अतुल जिन्दल
14–श्री हरीश चन्द्र जोशी
15–श्री श्री राम सिंह मीना
16–श्री बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम
17–श्री गम्भीर सिंह
18–श्री जे0एस0 पाण्डे
19–श्री जी0एस0 जोशी
20–श्री मदन सिंह
21–श्री एल0एम0 पन्त
22–श्री नितेश कुमार झा
23–श्री अजय कुमार
24–श्री जय राज
25–श्री अजय जोशी
26–श्रीमती किरन शर्मा (नॉन–वोटिंग)

आमंत्रित अतिथिगण

1– श्री बृज पंजवानी, आर्किटैक्ट
2– श्री रविन्द्र खण्डूजा, सीए
3– श्री दिवाकर भट्ट, डीजीएम एसबीआई, प्रशा0 कार्यालय
4– श्री डी0बी0 कटारिया, रीजनल मैनेजर ,, ,,
5– श्री राजेश जोशी, मुख्य प्रबन्धक, सचिवालय शाखा
6– श्री अग्निहोत्री, एसबीआई, प्रशा0 कार्यालय
7– श्री एस0के0 शर्मा, मुख्य प्रबन्धक, एसबीआई, राजपुर रोड (आयोजक)